कार्यालय नगर परिषद खिरकिया जिला – हरदा

क्र. 459 /लोनि.शाखा/न.पं./2026–27 खिरकिया दि. 11/05/26

–: ऑनलाईन आमंत्रण सूचना :–

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता हैं कि नगर परिषद खिरकिया में निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु निविदा बेबसाईट www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गयी हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 15/05/2026 (10.00) से दिनांक 02/06/2026 (17.30) तक क्रय कि जा सकती हैं। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती हैं।

क्र.	एनआई टी नं	टेण्डर आई.डी. नंबर	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि (EMD)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि
						PAC	GST			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			वार्ड क्रं. 06 में गुड्डू सोनी के मकान से शंकर ठेकेदार के मकान के सामने तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	न.प. /मद	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग आई. एस.एस.आर दिनांक 02. 08.2021 से प्रभावशील	3,19,595	57,527	3195	2000	02 माह

नियम तथा शर्तें :–

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक 120 दिन की होगी।
2. निविदाकार/फर्म का पंजीयन, ईपीएफ पंजीयन, जीएटी पंजीयन होना अनिवार्य हैं।
3. निविदा में अमानत राशि आनलाईन भुगतान द्वारा/डेबिट कार्य, क्रेडिट कार्ड, नेटबैकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
4. अन्य शर्ते कार्यालय के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती हैं।
5. निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।
6. संपादक ..... की ओर अपने समाचार पत्र में विज्ञप्ति कम से कम स्पेष प्रकाशित करने का कष्ट करे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद खिरकिया

...गीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
...यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Harshvardhan Complex, Mata Mandir,
Chouraha, Bhopal (MP)– 462003
Email :- eenarmdapuram@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./नाली/2026/ २०

नर्मदापुरम्, दिनांक - 06.02.2026

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद् खिरकिया,
जिला - हरदा।

विषयः- वार्ड क्र. 06 में गुड्डू सोनी के मकान से शंकर ठेकेदार के मकान के सामने तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।

संदर्भः- आपका पत्र क्र. 51 दिनांक 03.02.2026.

-----//-----

विषयान्तर्गत, संदर्भित पत्र के द्वारा वार्ड क्र. 06 में गुड्डू सोनी के मकान से शंकर ठेकेदार के मकान के सामने तक आर. सी.सी. नाली निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व Existing नाला/नालियों का लेबिल चेक किया जावे, जिससे निर्माण के उपरान्त पानी निकासी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, साथ ही डिस्चार्ज के अनुसार नाली का सेक्शन निर्धारित किया जावे। रोड़ के किनारे नाली इस प्रकार निर्मित की जावे जिससे रोड़ के पानी की निकासी नाली के माध्यम से हो सके। निविदा लागत की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त की जावे। निर्माण कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से करवाने के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। परीक्षण उपरान्त **MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238** के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि
1	वार्ड क्र. 06 में गुड्डू सोनी के मकान से शंकर ठेकेदार के मकान के सामने तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 08.11.2025 से प्रभावशील	3,19,595.00
			(जी.एस.टी. 18 प्रतिशत)	57,527.00
			कुल योग	3,77,122.00

शर्तें-

1.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

2.तथ्यो को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।

3.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम 2018 के अनुरुप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

4.निर्माण कार्य स्वंय के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तांरण की कार्यवाही की जावे । निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रुप से सम्पन्न कार्यो का ही भुगतान किया जावे ।

5.भूमि विवाद की स्थिती में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

6.बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरुप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।

7.निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

8.उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईस्ड/सप्लीमेन्ट्री कार्यो के लिए नही। तथ्यो को छुपाने पर प्राप्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

9.सी.पी.डब्ल्यू .डी .स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी .स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्यो मे प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कॉक्रीट आदि का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से निर्धारित आवृत्ति अनुसार परिक्षण कराया जावे । संतोषजनक परिक्षण परिणाम प्राप्त होन पर चलदेयको के भुगतान की कार्यवाही की जावे ।

10.मध्यप्रदेश नगरपालिका) लेखा एवं वित्त (नियम 2018 के अनुरुप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूमि सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे ।

11.सीमेन्ट, कॉक्रीट एवं आर.सी.सी .नाली निर्माण में स्टील सेन्टरिंग का उपयोग किया जावे । कॉक्रीट मिक्सिंग के लिए मिक्सर मशीन तथा वाईब्रेटर का उपयोग अनिवार्यतः किया जावे ।

12.निर्माण कार्य स्वंय के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे , तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृती स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

13.आर.सी.सी .नाली/नाला की स्ट्रकचरल तथा मिक्स डिजाइन का परिक्षण शासकीय पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता से कराया जावे । अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत मे परिवर्तन की स्वीकृती प्राप्त करने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा

14.म.प्र .शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र .F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू . 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यो के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।

...गीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Harshvardhan Complex, Mata Mandir,
Chouraha, Bhopal (MP)– 462003
Email :- eenarmdapuram@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

15.कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारुप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नही होगा।

16.निःशक्त जनों के लिए वाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियो की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।

17.नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी/.सहमति भी प्राप्त की जावे।

18.निर्माण कार्य की लागत राशि रु .25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।

19.निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ .एवं लेवर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

20.उपरोक्त शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।

21.MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।

22.MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।

23.MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।

24.निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।

25.निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

26.कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

27.ऐसे निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति जो निविदा आमंत्रण के पश्चात् प्राप्त की जाती है वह स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

28.निर्माण कार्य स्वयं के स्वामित्व/अधिपत्य की भूमि में किया जावे, निजी भूमि एंव अवैध कालोनी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा तथ्यों को छुपाये जाने की दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्थानानतरण करवाये जाने के पश्चात प्रश्नाधिन कार्य कारावा जावे। शर्तो का पालन नहीं करने की दशा में समस्त उत्तदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

29.निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अवधि पूर्ण हुए बिना यदि पुनः नवीन/रिन्यूवल कार्य के रूप में कार्य लिए जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।

30.निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

31.निविदा आमंत्रण पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Signature Not Verified
Digitally signed by MAHENDRA KUMAR SHARMA
Date: 2026.05.12 14:04:52 IST
Location: Madhya Pradesh-MP